न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0आर वाद सं0–05/2018–19

घनश्याम महतो एवं अन्य
बनाम
बलराम महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजन आवेदन मूल रिविजनकर्त्ता देव नारायण महतो, पिता – स्व0 छतरू महतो, सा0– बड़ासिंहपुर, थाना– पाकुड़िया, जिला– पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0– 01/2016–17 में दिनांक – 23.07.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) बलराम महतो, पिता– स्व0 भागीरथ महतो, सा0– बड़ासिंहपुर, थाना– पाकुड़िया, जिला – पाकुड़ एवं (2) झारखण्ड राज्य को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया। सुनवाई के क्रम में मूल रिविजनकर्त्ता देव नारायण महतो की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके पुत्र (1) धनश्याम महतो (2) शिवलाल महतो (3) मनीलाल महतो एवं (4) खुसलाल महतो को पक्षकार बनाया गया।

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा बड़ासिंहपुर के अनावादी खाता सं0– 53 के दाग सं0–06 कुल रकवा 05–05–02 धूर जमीन का लगान निर्धारित हेतु निम्न न्यायालय में लगान धार्य वाद सं0– 40/2013–14 प्रारम्भ किया गया। उक्त वाद में दिनांक–23.06.2014 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान देवनारायण महतो (इस वाद के मूल रिविजनकर्त्ता) के नाम से निर्धारित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध बलराम महतो (इस वाद के उत्तरवादी सं0– 01) के द्वारा विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया। विज्ञ अपर समाहर्त्ता द्वारा RMA वाद सं0– 03/2014–15 में दिनांक 22.12.2016 को पारित आदेश द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा लगान धार्य वाद सं0– 40/13–14 में दिनांक–23.06.2014 को पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) कर दिया गया एवं कतिपय बिन्दुओं पर पुर्नविचार हेतु वाद Remand किया गया ।

विज्ञ अपर–समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में सुनवाई के दौरान विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय का रा0वि0 वाद सं0– 205/2014–15 भूदान से संबंधित होने के कारण विज्ञ भूमि सुधार–उप–समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की कम संख्या और तारीख
1	2	1

हस्तांतरित किया गया। इस वाद अंतर्गत भूमि वही भूमि है जो विज्ञ अपर–समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में विचाराधीन थी। निम्न न्यायाल द्वारा रा0वि0 सं0–205/2014–15 प्राप्त होने पर रा0 वि0 वाद सं0 – 01/16–17 प्रारम्भ करते हुए उस वाद में सुनवाई प्रारम्भ की गई।

विज्ञ अपर–समाहर्त्ता से Remand पर प्राप्त होने पर विज्ञ. भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा उक्त रा0 वि0 सं0– 01/2016–17 में सुनवाई प्रारंभ की गई । उक्त वाद में सुनवाई के उपरान्त दिनांक– 23.07.2018 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान धार्य बलराम महतो (इस वाद के उत्तरवादी सं0 – 01) के पक्ष में किया गया। यह रिविजन वाद इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता के द्वारा दिनांक –16.08.2022 को निम्न न्यायालय के लगान धार्य वाद सं0– 40/2013–14 में दिनांक–12.12.2017 को पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति दाखिल करते हुए कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा Remand पर प्राप्त होने के पश्चात दिनांक–12.12.2017 को पारित आदेश द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है। बाद में निम्न न्यायालय द्वारा रा0 वि0 वाद सं0 –01/16–17 में दिनांक–23.07.2018 को पारित आदेश द्वारा उत्तरवादी सं0– 01 बलराम महतो के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। इस संबंध में दिनांक–12.12.2017 को पारित आदेश की खोज निम्न न्यायालय के अभिलेखों में की गई। आदेश अभिलेख में उपलब्ध नही पाया गया। इस संदर्भ में मूल आदेश की प्रति की मांग निम्न न्यायालय से की गई। निम्न न्यायालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–12.12.2017 को पारित आदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में जिला प्रतिलिपि शाखा पाकुड़ से प्रतिवेदन की मांग की गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त आदेश से संबंधित नकल उनके कार्यालय से निर्गत है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को विस्तार से सुना गया। रिविजनकर्त्ता का कहना है कि विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ से Remand पर प्राप्त होने के बाद लगान धार्य वाद सं0–40/13–14 में दिनांक–12.12.2017 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान रिविजनकर्त्ता के पक्ष में किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील/रिविजन दायर नही किया गया है। अतः उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी है। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–12.12.2017 को पारित अपने ही आदेश को नजर अंदाज करते हुए रा0वि0 वाद सं0–01/16–17 में दिनांक–23.07.2018 को पारित

Scanned with CamScanner

की कम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश द्वारा उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण कर दिया जाता है। निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय को अपने ही आदेश का Suo moto पुर्नविचारण करने का कोई अधिकार नही है, जबतक कि उच्चतर न्यायालय द्वारा पुर्नविचार करने का कोई आदेश पारित न किया गया हो। उनके द्वारा शक्ति बाह्य कृत्य बताते हुए दिनांक 23.07.2018 को पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–01 का कहना है कि विज्ञ अपर–समाहर्त्ता, पाकुड़ से Remand पर प्राप्त होने के बाद निम्न न्यायालय द्वारा रा0 वि0 वाद सं0– 01/16–17 में सुनवाई की गई एवं उक्त वाद में दिनांक –23.07.2018 को आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अभि0 सं0–40/13–14 में सुनवाई नही की गई। अतः 40/13–14 में दिनांक 12.12.2017 को पारित आदेश गलत एवं फर्जी है। उनका आगे कहना है कि यदि आदेश पारित किया गया तो आदेश अभिलेख में उपलब्ध होना चाहिए था परंतु दिनांक–12.12.2017 को पारित आदेश अभिलेख में उपलब्ध ही नही है। उनका आगे कहना है कि दिनांक 12.12.2017 को पारित आदेश अभिलेख में है ही नही तो उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अथवा रिविजन दायर कैसे किया जा सकता है। उनके द्वारा जोर देकर कहा गया कि दिनांक–12.12.2017 को पारित तथाकथित आदेश लगान धार्य वाद सं0– 40/13–14 में पारित है जबकि Remand पर प्राप्त होने पर निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई रा0 वि0 वाद सं0– 01/16–17 में की गई तथा अंतिम आदेश दिनांक –23.07.2018 को पारित किया गया। अतः दिनांक 12.12.2017 के पारित आदेश की कोई मान्यता कानून की नजर में नहीं है। चुँकि दिनांक–12.12.1017 का आदेश अभिलेख में उपलब्ध ही नहीं है, अतः उक्त आदेश को माना नहीं जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि 12.12.2017 को पारित आदेश उपलब्ध नही रहने के कारण उसके बारे में उन्हे कोई जानकारी नही थी अतः इसके विरूद्ध अपील/रिविजन नही दायर किया गया।

उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए दिनांक–23.07.2018 को पारित आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेखों एवं उसमे पारित आदेशों का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दिनांक– 12.12.2017 को पारित आदेश निम्न न्यायालय के अभिलेखों में से किसी में उपलब्ध नही है। साथ ही आदेश फलक में भी

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उक्त तिथि को आदेश पारित किये जाने का कोई उल्लेख नही है। तथापि जिला प्रतिलिपि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश की प्रतिलिपि जिला प्रतिलिपि शाखा, पाकुड़ से निर्गत है। संभवतः बाद में मूल आदेश को अभिलेखबद्ध करने में चूक के कारण वर्तमान में मूल आदेश अभिलेखबद्ध नही है।

यह रिविजन आवेदन दिनांक 23.07.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। जब प्रश्नगत भूमि को लेकर दिनांक 12.12.2017 को एक आदेश मूल रिविजनकर्त्ता के पक्ष में पारित कर दिया गया था, तब पुनः दिनांक–23.07.2018 को उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में पारित आदेश अपने पूर्व आदेश का पुनरीक्षण है। निम्न न्यायालय द्वारा Suo-moto अपने पूर्व आदेश का Review कर दिया गया है, जो उनके क्षेत्राधिकार में नही है। निम्न न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0 01/16–17 के आदेश फलक में दिये गये हाजरी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 02.01.2018 से दिनांक 23.07.2018 तक कुल सात तिथियों में एक भी तिथि को किसी भी पक्ष की हाजरी अभिलेख मे उपलब्ध नहीं है। उक्त तिथियों में से किसी भी तिथि को पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी नही है। दिनांक 23.07.2018 को बिना किसी पक्ष को सुने अभिलेख आदेश पर रख लिया गया एवं उसी तिथि को आदेश पारित कर दिया गया। उक्त तथ्य भी इस बात की ओर इशारा करती है कि आदेश पारित करने में नियमों का पालन नही किया गया एवं Natural Justice के सिद्धांत का घोर उलंघन किया गया ।

उपर्युक्त विचेचना के आधार पर वाद के मेरिट पर गए बिना निम्न न्यायालय द्वारा रिविजन वाद सं0 01/16–17 में दिनांक 23.07.2018 को पारित आदेश को शक्तिबाह्य आदेश पाते हुए उसे निरस्त (Set-aside) किया जाता है। रिविजन आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:05:21 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner